

इस कार्यलय के आदेश सं० 25/10 दि० 9.2.10 द्वारा एवं बी.के. चरजी/मू० पू० सी. खैरे/लगाई/त्रयुवर्द्ध को M.A.C.P. के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन का तृतीय प्रात्र दिशा गया था, उक्त लाभ के क्रम में बेतन का निर्धारण अतिपूर्व होने के कारण इस कार्यलय द्वारा जारी श्रुति का सं० का/घा/पी.सी./बी.के. चरजी दि० 23.2.14 द्वारा बेतन शशोचित किया गया है, में "3%" का लाभ नहीं दिखे जाने के कारण उपरोक्त जारी आदेश के अतिक्रमण में बेतन शशोचित किया जाना है।

पूर्व का बेतन (घ/502) के अनुसार	शशोचित बेतन
20630 + 4600 = 25230 - 17.08 (M.A.C.P. - 0.0.N. 25/10 दि-9.2.10)	→ 20630 + 4600 = 25230 - (M.A.C.P. 0.0.N. 25/10 दि-9.2.10)
21390 + 4800 = 26190 - 19.08	→ 21390 + 4800 = 26190 -
----- 19.08	→ 22180 + 5400 = 27580.
22200 + 5400 = 27600 - 17.09	→ 23010 + 5400 = 28410.
23030 + 5400 = 28430 - 17.10	→ 23870 + 5400 = 29270.
23890 + 5400 = 29290 - 17.11	→ 24750 + 5400 = 30150.
24770 + 5400 = 30170 - 07.12	→ 25660 + 5400 = 31060
25680 + 5400 = 31080 - 07.13	→ 26600 + 5400 = 32000.
(मृत्यु दि० 02-1-2014)	

सं०- का/घा/पी.सी./बी.के. चरजी दि० 8-6-17 कृते मं० प्र० (का)
वाराणसी

परिशिष्ट- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- 1) वमप्रदि (स्मार्डि)/वाराणसी।
- 2) वमविप/वाराणसी।
- 3) मू० कार्यलयी (ग्रौं विल)/का० आणपु०
- 4) अन्य शक्ति।

कृते मं० प्र० (का)
वाराणसी